राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः19 ए/एनपीएस/2010/ दिनांक 06.04.2011

समस्त आहरण वितरण अधिकारी

विषय :- नवीन पेन्शन योजना के संबंध में।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.01.2004 एवं इसके पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारियों/स्वायत्तषाशी संस्थाओं/राजकीय उपक्रमों/विश्वविद्यालयों एवं पंचायत समिति एवं जिला परिषद में नियुक्त कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रूप से अंशदायी पेन्शन प्रणाली लागू की गई है। उन सभी कर्मचारियों जिन पर नवीन पेन्शन प्रणाली लागू है तथा नियुक्ति के दो वर्ष पश्चात जिनकी कटौती शुरू की जानी है उनकी प्रथम कटौती के साथ एस-1 प्रपत्र जो संलग्न है एवं www.npscra.nsdl.co.in से डाउनलोड किया जा सकता है, दो प्रतियों में पूर्ण करवाकर बीमा विभाग के जिलाधिकारी को राज्य कर्मचारियों के लिए एवं शेष कर्मचारियों के लिए संस्थाओं के डीटीओ स्वयं एनएसडीएल को भिजवाने की व्यवस्था करेंगे। पूर्ण प्रक्रिया राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात शीघ्र जारी कर दी जाएगी। संस्थाओं के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी संलग्न एन-3 फार्म की भी पूर्ति कर कर्मचारियों के एस-1 फार्म के साथ स्वयं की जिम्मेदारी पर सुविधा केन्द्र को प्रस्तुत करेंगे। उक्त के संबंध में यदि किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई हो तो मुख्यालय में उपनिदेशक एनपीएस (मोबाईल नंबर-9413341894) अथवा संबंधित जिले के उप/सहायक निदेशक से सम्पर्क कर सकते हैं।

समस्त आहरण वितरण अधिकारियों से निवेदन है कि वर्तमान अंशदाताओं से एस-1 प्रपत्र पूर्ण करवाकर मई देय जून, 2011 के वेतन बिल के साथ कोष कार्यालय को प्रस्तुत करें। अन्यथा बिल पारित किया जाना संभव नहीं होगा। संस्थाओं के प्रपत्र सीधे सुविधा केन्द्र को भिजवाए जाएंगे। सुविधा केन्द्र की सूची बीमा विभाग के जिला कार्यालय द्वारा प्राप्त की जा सकती है। प्रपत्रों की पूर्ति हेतु ध्यान रखने योग्य बातें निम्नलिखित हैं:-

1. आहरण वितरण अधिकारी के कर्तव्य

1. नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक कार्य की समस्त जिम्मेदारी आहरण एवं वितरण अधिकारी में निहित है। कर्मचारी के आहरण एवं वितरण अधिकारी कर्मचारी के अंशदान का मासिक बिल से वेतन एवं महंगाई भत्ते की 10 प्रतिशत कटौती सुनिश्चित करेगा।
2. एन 3 फार्म को पूर्ण कर सीआरए के साथ पंजीकृत होना।
3. अपने अधीन अंशदाताओं से फार्म एस 1 की पूर्ति करवाकर दो प्रतियों में बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जिला कार्यालय को प्रस्तुत करना। फार्म को सेवापुस्तिका से सत्यापन करना और हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करना।
4. सीआरए से प्रान किट प्राप्त कर एवं संबंधित अंशदाताओं का वितरण सुनिश्चित करना।
5. प्रत्येक बिल के साथ विभाग द्वारा दिये जा रहे एफपीयू (कटौती पत्र) में सम्पूर्ण सूचना राजकीय अंशदान सहित प्रतिमाह प्रस्तुत करना।
6. डीडीओ निम्न रिकार्ड़ रखेगा:—

   - प्रत्येक अंशदाता के स्वयं के अंशदान और राजकीय अंशदान की पंजिका।
   - अंशदाता का सेवानिवृत्ति विवरण।
   - जब कभी कर्मचारी का स्थानांतरण होता है तो एल.पी.सी. में कर्मचारी का प्रान नंबर व कर्मचारी द्वारा किये गये अंशदान के अंतिम माह का विवरण अंकित करेगा।
   - प्रतिमाह कर्मचारी/राजकीय अंशदान बीमा विभाग के बैंक खाते में जमा करने का विवरण।

7. एन 3 प्रपत्र का कॉलम 7 (बी) भरते समय वर्तमान में जारी डी.डी. ओ. कोड को सही तरीके से छः अंकों में अंकित किया जायेगा। जैसे यदि code 41 है तो 000041 भरा जायेगा।

2. अंशदाता की जिम्मेदारियां

1. डीडीओ से एस 1 फार्म प्राप्त कर उसकी पूर्ति करना तथा रंगीन फोटो लगाना।
2. फार्म की पूर्ति संलग्नक–1 में दिये गये निर्देशों के अनुसार की जानी है।
3. एस 1 फार्म के सेक्शन बी के कॉलम 8 में सीआरए द्वारा आवंटित नंबर भरा जाना है। कॉलम 9 में वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा बीमा विभाग के प्रत्येक जिलाधिकारी को दिनांक 27.03.2004 के आदेश में जारी कोड़ संख्या अंकित की जा सकती है।
4. सेक्शन डी की वर्तमान में पूर्ति नहीं की जानी है।
5. कर्मचारी अपने सेवा के वर्गीकरण को सेक्शन बी के कॉलम 4 में सही प्रकार से टिक करें।

3. राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के जिला अधिकारियों के कर्तव्य

1. उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि योजना के अन्तर्गत CRA एवं DDO के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करने हेतु नोडल अधिकारी घोषित हैं।
2. अंशदाताओं से एस–1 फार्म एवं DDO's से एन 3 फार्म प्राप्त करना एवं सीआरए को सत्यापन पश्चात सुविधा केन्द्र के माध्यम से अग्रेषित करना।
3. डीडीओ से प्राप्त एस सी एफ (सबस्क्राईबर कन्ट्रीब्यूशन फार्म) को एफ

वी यू (फाईल वेलिडेशन यूटीलिटी) से सत्यापित करना।

4. इस प्रकार से सत्यापित एस सी एफ को सी आर ए के NPSCAN System में अपलोड करना एवं Contribution Submission Form (CSF) को Generate करना।

5. CSF के माध्यम से अपने बैंक अकाउण्ट से न्यासी बैंक को राशि स्थानांतरित करने हेतु निर्देशित करना।

6. रिकार्ड जो संधारित करना है :–

(1) Legacy data पंजिका

(2) ट्रस्टी बैंक को भुगतान की रिकार्ड पंजिका

(3) प्रत्येक अपलोड का बैकअप डेटा

(4) कर्मचारियों के अंशदान एवं राजकीय अंशदान के मासिक विवरण की वर्षवार पंजिका

4. <u>अंशदाता को PRAN जारी करने हेतु एस–1 एवं एन 3 फार्म भरते वक्त अंशदाता/डीडीओ के ध्यान रखने योग्य बिन्दु</u>

1. रंगीन फोटो सही तरीके से लगाई जाय। फोटो स्टेपल नहीं की जावे। फोटो पर हस्ताक्षर नहीं करें।
2. हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान निर्धारित बॉक्स में ही किये जावे।
3. यदि अंगूठे का निशान लगाया गया है तो उसे राजपत्रित अधिकारी/नोटेरी पब्लिक/मजिस्ट्रेस्ट से प्रमाणित कराया जायेगा।
4. सभी कॉलम की पूर्ति आवश्यक रूप से की जावे।
5. जन्मतिथि को आवश्यक रूप से सत्यापित किया जावे।
6. यह सत्यापित किया जाये कि कर्मचारी का कार्यग्रहण 01.01.2004 अथवा इसके पश्चात है और उस पर नवीन पेंशन योजना लागू है।
7. सेवानिवृत्ति तिथि सही अंकित की जावे।

8. प्रपत्र में एनएसडीएल द्वारा जारी DTO, DDO का Code सही रूप से अंकित किया जावे।
9. पूर्व में यदि बीमा विभाग द्वारा PPAN (Permanent Pension Account Number) जारी किया गया है तो उसे अंकित किया जावे।
10. यह सुनिश्चित किया जावे कि विभाग और डीडीओ का नाम अंकित कर दिया गया है।
11. यह भी सुनिश्चित करें कि प्रपत्र में डीडीओ कार्यालय की अधिकृत मोहर ही अंकित की गई है।

12. प्रपत्र Block Letter और काली स्याही से पठनीय भरा जावे। प्रत्येक शब्द के बीच एक बॉक्स खाली रखा जावे तथा प्रत्येक charactor एक बॉक्स में अंकित किया जावे।
13. मनोनयन अधिकतम तीन व्यक्तियों का किया जा सकता है जिसमें राशि वितरण इस प्रकार हो कि पूरी राशि का योग 100 प्रतिशत हो। नाबालिग मनोनयन में स्वयं के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति को संरक्षक अवश्य नियुक्त किया जावे।
14. सेक्शन डी में Scheme detail को रिक्त रखा जाये।
15. Section "B" DDO द्वारा सेवा अभिलेख से पूर्ण कर प्रमाणित किया जायेगा।

भवदीया

अतिरिक्त निदेशक (एनपीएस)
राज्य बीमा एवं प्रा0नि0विभाग, राज0जयपुर

कार्यालय निदेशक राज्य बीमा एवं प्रा0नि0विभाग राजस्थान जयपुर।
क्रमांकः– प–19 (ए) एन0पी0एस/2011–12 / 111-161 दिनांकः– 15-04-2011

उप /सहायक निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रा0नि0विभाग
....

विषयः– नवीन पेंशन योजना में अंशदाताओं से रजिस्ट्रेशन फार्म भरवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देश दिये जाते हैं कि वित्त राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 4 (12) वित्त/राजस्व/04/पार्ट II दिनांक 13.04.2011 इस पत्र के साथ संलग्न है। समस्त स्वायतशासी संस्थाओं को जिनकी कटौतियां प्राप्त हो रही हैं। उन्हे भेजकर निर्देश दिये जायें कि संस्था के अधिकारी ही डी.टी.ओ. के रूप में एन.पी.एस. कटौतियों के लिए जिम्मेदार होगें तथा वे अपने स्तर पर डी.टी.ओ. के लिए एन–2 तथा डी.डी.ओ. के लिए एन–3 फार्म पूर्ति कर एन.एस.डी.एल. के साथ रजिस्ट्रेशन करवायेगें। यह प्रक्रिया एस–1 फार्म पूर्ति से पूर्व ही सुनिश्चित की जानी हैं। समस्त संस्थाओं को यह परिपत्र भिजवाया जायें।

संलग्न–परिपत्र

अतिरिक्त निदेशक (एन.पी.एस.)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
जयपुर।

राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक : न.4(12)वित्त / राजस्व / 04 पार्ट–II

जयपुर, दिनांक : 13-4-2011

परिपत्र

समस्त विभागाध्यक्ष / सचिव / प्रशासक /
स्वायत्तशाषी संस्थाऐं / बोर्ड / निकाय / विश्वविद्यालय /
समिति / आयोग / राजकीय उपक्रमों / संस्थाओं

विषय : नवीन पेंशन योजना में अंशदाताओं से रजिस्ट्रेशन फार्म एस–1 भरवाने बाबत्।

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में दिनांक 1.1.2004 के पश्चात् नियुक्त सभी कर्मचारियों पर नवीन पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत अंशदाताओं के मूल वेतन व महंगाई भत्ते की 10 प्रतिशत राशि की कटौती प्रतिमाह की जा रही है और उसके समान राशि का अंशदान राज्य सरकार / नियोक्ता द्वारा जमा कराया जा रहा है।

इस योजना का संचालन राज्य सरकार के निर्णयानुसार पेंशन फण्ड नियामक एवं विकास प्राधिकरण के आर्किटेक्चर के अन्तर्गत किया जायेगा। इस योजना का राज्य में नोडल विभाग, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग है ।

नवीन पेंशन योजना में अंशदाताओं को पूर्व में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा परमानेन्ट पेंशन एकाउण्ट नम्बर (PPAN) जारी किये गये थे। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 4(12)वित्त / राजस्व / 04 पार्ट II दिनांक 27.12.2010 के परिप्रेक्ष्य में नई व्यवस्था के अन्तर्गत एन.एस.डी.एल. (नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड) में रजिस्ट्रेशन करवाकर परमानेन्ट रिटायरमेंट एकाउण्ट नम्बर (PRAN) जारी किये जाने हैं। इस हेतु राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा नवीन पेंशन योजना के अंशदाताओं से पूर्ति करवाने हेतु माह अप्रेल देय मई, 2011 के वेतन बिलों के साथ अंशदाताओं की संख्या के अनुसार पर्याप्त संख्या में फार्म आहरण एवं वितरण अधिकारियों को भिजवाये जायेंगे जो 2 प्रतियों में आवश्यक पूर्ति उपरान्त माह मई, 2011 के वेतन बिलों के साथ राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के संबंधित जिला कार्यालय में भिजवाया जाना आवश्यक है। इन प्रपत्रों को एन.एस.डी.एल. की वेबसाईट www.npscra.nsdl.co.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

डी.डी.ओ. द्वारा उनके अधीन अंशदाताओं से एस–1 फार्म पूर्ति करवाकर अपने अग्रेषण पत्र फार्म संख्या एस–5 में बीमा विभाग के जिला कार्यालय को प्रस्तुत किये जायेगें। एक एस–5 फार्म के साथ आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अधिकतम 50 अंशदाताओं के एस–1 फार्म संलग्न कर भिजवायें जायेंगे।

अतः सभी विभागाध्यक्षों से अपेक्षा है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करें कि नवीन पेंशन योजना के अंशदाताओं के फार्मों (एस–1) की तत्परता से पूर्ति करवाकर निर्धारित अवधि में पूर्ण करके राज्य बीमा विभाग के संबंधित जिला कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें, इसमें किसी प्रकार की शिथिलता बरतने में माह मई देय जून, 2011 के वेतन बिलों को पारित किया जाना संभव नहीं हो सकेगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त निजी सचिव/निजी सहायक/विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री/राज्य मंत्री।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
4. महालेखाकार, राजस्थान।
5. समस्त कलेक्टर।
6. समस्त विभागाध्यक्ष।
7. समस्त कोषाधिकारी।
8. सचिवालय समस्त अनुभाग।
9. प्रशासनिक सुधार विभाग।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।

विशेषाधिकारी,
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग

कार्यालय आयुक्त, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राज. जयपुर

क्रमांकःप.19(ए)/एन.पी.एस./2011/2145-2244 दिनांक 14/15/03/2011

परिपत्र

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 27.08.2009 के द्वारा नवीन पेंशन योजना के अंशदाताओं के खातों के रख–रखाव के लिए केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय अभिलेख अधिकरण (C.R.A) हेतु नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (N..S.D.L.) को नियुक्त किया गया है। इस निर्णय के अनुसरण में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के आयुक्त को नोडल अधिकारी घोषित किया गया है।

इसी क्रम में विभाग द्वारा दिनांक 9.11.2010 को सी.आर.ए., (एन.एस.डी.एल.) एवं दिनांक 2.12.2010 को नवीन पेंशन योजना ट्रस्ट के साथ अनुबन्ध निष्पादित कर लिये गये हैं। दिनांक 22.11.2010 को सी.आर.ए. द्वारा विभाग के समस्त अधिकारियों को अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रशिक्षण भी दे दिया गया है। उक्त तिथि को ही इस विभाग के समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा डी.टी.ओ. के रूप में एन–2 फार्म की पूर्ति की गई थी।

राज्य सरकार द्वारा नवीन पेंशन योजना के संधारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं विधि के संबंध में क्रमांक प.4 (12) वित्त/राजस्व/04 पार्ट–II दिनांक 27.12.2010 को आदेश जारी किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।

विभाग के समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों से निवेदन है कि वे नवीन पेंशन योजना से संबंधित पूर्व में दिये गये समस्त आदेशों को संकलित कर अपने पास रखें ताकि योजना के संचालन में सुगमता रहे तथा इस संबंध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में पर्ण रूप से स्पष्टता रहे।

इन निर्देशों के साथ अंशदाताओं द्वारा पूर्ति किए जाने वाले एस–1 फार्म जिले के अंशदाताओं की संख्या के अनुरूप भिजवाएं जा रहे हैं। एस 1 फार्म अंशदाता के द्वारा दो प्रतियों में पूर्ति किये जा कर अपने आहरण वितरण अधिकारी के माध्यम से जिला कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा, इसकी एक प्रति जिला कार्यालय में रिकार्ड़ हेतु रखी जाएगी। डी.डी.ओ. द्वारा उनके अधीन अंशदाताओं से एस –1 फार्मस् एकत्रित कर अपने अग्रेषण पत्र फार्म संख्या एस–5 में इस विभाग के जिला कार्यालय को प्रस्तुत किए जाएंगे। इस विभाग के जिला अधिकारी के द्वारा एस–6 फार्म के साथ समस्त डी.डी.ओ. से प्राप्त फार्म को संलग्न करते हुए एन.एस.डी.एल. के संबंधित सुविधा केन्द्र (फेसीलिटेशन सेन्टर) को प्रस्तुत किए जाएंगे। सुविधा केन्द्रों का विवरण साथ में संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। समस्त DDOS द्वारा एन–3 फार्म की भी पूर्ति कर इस विभाग के जिला अधिकारी को भिजवाया जायेगा।

इस विभाग के समस्त जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि माह अप्रेल देय मई 2011 के वेतन बिलों के साथ समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को फार्म संख्या एन–5 एवं अंशदाताओं द्वारा पूर्ति किए जाने वाले फार्म एस–1 को पर्याप्त मात्रा में इन निर्देशों के साथ भेजेंगे कि माह मई देय जून 2011 के वेतन बिल के साथ समस्त प्रपत्र आवश्यक पूर्ति पश्चात् आवश्यक रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे। माह मई, 2011 के वेतन बिलों के साथ उक्त प्रपत्र (आवश्यक पूर्ति सहित) प्राप्त होने पर ही वेतन बिल पारित करने के संबंध में कोषाधिकारियों को आवश्यक निर्देश अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त के द्वारा पृथक से जारी किए जा रहे हैं।

कृपया इस विभाग के जिलाधिकारी एवं राज्य के सभी आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO) यह सुनिश्चित करें कि PRAN फार्म केवल उस कर्मचारी से ही पूर्ति करवाएं, जिसकी कटौती नियमित रूप से शुरू हो गई है। PRAN केवल प्रथम कटौती शुरू होने की अवस्था में ही जारी किये जाये। यदि कर्मचारी के PRAN बिना कटौती जारी किये जाते हैं तो इस विभाग के जिलाधिकारी एवं आहरण वितरण अधिकारी इसके लिए उत्तरदायी होंगे।

अतः उपरोक्त प्रकार से प्रक्रिया सुनिश्चित करते हुए कर्मचारियों के द्वारा फार्म की पूर्ति करवाकर प्राप्त प्रपत्रों में दिये गये Permanent Pension Account Number जो कि जिला कार्यालय द्वारा जारी किया गया है, की जिला कार्यालय में उपलब्ध मास्टर इण्डेक्स से जांच की जाये एवं उसके पश्चात ही उन्हें संबंधित सुविधा केन्द्र को प्रस्तुत किए जायें। इन निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जाये।

संलग्न–एस–1 फार्म
एस–5 फार्म
एस–6 फार्म
एन–3 फार्म
वित्त विभाग का आदेश दिनांक 27.12.2010

15.3.11
अतिरिक्त निदेशक
(पीएफ / एनपीएस)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान जयपुर

क्रमांकःप.19(ए) / एन.पी.एस. / 2011 / 2145-2244 दिनांक 14/15-/03/2011
प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु:–
1– समस्त उप / सहायक निदेशक जिला————————————
2– समस्त संयुक्त निदेशक संभाग————————————को
भेजकर लेख है कि अपने स्तर पर उपरोक्त कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
3– समस्त अधिकारी मुख्यालय
प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ:–
1– विशेषाधिकारी, (बीमा एवं पेंशन) वित्त विभाग, शासन सचिवालय,जयपुर।
2– निजी सहायक, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा0नि0विभाग, राजस्थान जयपुर।

संयुक्त निदेशक
(पीएफ / एनपीएस)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान जयपुर

कार्यालय आयुक्त, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राज. जयपुर

क्रमांक:प.19(ए)/एन.पी.एस./2011/2145-2244 दिनांक 14/15/03/2011

परिपत्र

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 27.08.2009 के द्वारा नवीन पेंशन योजना के अंशदाताओं के खातों के रख–रखाव के लिए केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय अभिलेख अधिकरण (C.R.A) हेतु नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (N..S.D.L.) को नियुक्त किया गया है। इस निर्णय के अनुसरण में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के आयुक्त को नोडल अधिकारी घोषित किया गया है।

इसी क्रम में विभाग द्वारा दिनांक 9.11.2010 को सी.आर.ए., (एन.एस.डी.एल.) एवं दिनांक 2.12.2010 को नवीन पेंशन योजना ट्रस्ट के साथ अनुबन्ध निष्पादित कर लिये गये हैं। दिनांक 22.11.2010 को सी.आर.ए. द्वारा विभाग के समस्त अधिकारियों को अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रशिक्षण भी दे दिया गया है। उक्त तिथि को ही इस विभाग के समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा डी.टी.ओ. के रूप में एन–2 फार्म की पूर्ति की गई थी।

राज्य सरकार द्वारा नवीन पेंशन योजना के संधारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं विधि के संबंध में क्रमांक प.4 (12) वित्त/राजस्व/04 पार्ट–II दिनांक 27.12.2010 को आदेश जारी किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।

विभाग के समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों से निवेदन है कि वे नवीन पेंशन योजना से संबंधित पूर्व में दिये गये समस्त आदेशों को संकलित कर अपने पास रखें ताकि योजना के संचालन में सुगमता रहे तथा इस संबंध में अपनायी जाने वाली प्रकिया के संबंध में पर्ण रूप से स्पष्टता रहे।

इन निर्देशों के साथ अंशदाताओं द्वारा पूर्ति किए जाने वाले एस–1 फार्म जिले के अंशदाताओं की संख्या के अनुरूप भिजवाएं जा रहे हैं। एस 1 फार्म अंशदाता के द्वारा दो प्रतियों में पूर्ति किये जा कर अपने आहरण वितरण अधिकारी के माध्यम से जिला कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा, इसकी एक प्रति जिला कार्यालय में रिकार्ड हेतु रखी जाएगी। डी.डी.ओ. द्वारा उनके अधीन अंशदाताओं से एस –1 फार्मस् एकत्रित कर अपने अग्रेषण पत्र फार्म संख्या एस–5 में इस विभाग के जिला कार्यालय को प्रस्तुत किए जाएंगे। इस विभाग के जिला अधिकारी के द्वारा एस–6 फार्म के साथ समस्त डी.डी.ओ. से प्राप्त फार्म को संलग्न करते हुए एन.एस.डी.एल. के संबंधित सुविधा केन्द्र (फेसीलिटेशन सेन्टर) को प्रस्तुत किए जाएंगे। सुविधा केन्द्रों का विवरण साथ में संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। समस्त DDOS द्वारा एन–3 फार्म की भी पूर्ति कर इस विभाग के जिला अधिकारी को भिजवाया जायेगा।

इस विभाग के समस्त जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि माह अप्रेल देय मई 2011 के वेतन बिलों के साथ समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को फार्म संख्या एन–5 एवं अंशदाताओं द्वारा पूर्ति किए जाने वाले फार्म एस–1 को पर्याप्त मात्रा में इन निर्देशों के साथ भेजेंगे कि माह मई देय जून 2011 के वेतन बिल के साथ समस्त प्रपत्र आवश्यक पूर्ति पश्चात् आवश्यक रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे। माह मई, 2011 के वेतन बिलों के साथ उक्त प्रपत्र (आवश्यक पूर्ति सहित) प्राप्त होने पर ही वेतन बिल पारित करने के संबंध में कोषाधिकारियों को आवश्यक निर्देश अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त के द्वारा पृथक से जारी किए जा रहे हैं।

कृपया इस विभाग के जिलाधिकारी एवं राज्य के सभी आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO) यह सुनिश्चित करें कि PRAN फार्म केवल उस कर्मचारी से ही पूर्ति करवाएं, जिसकी कटौती नियमित रूप से शुरू हो गई है। PRAN केवल प्रथम कटौती शुरू होने की अवस्था में ही जारी किये जाये। यदि कर्मचारी के PRAN बिना कटौती जारी किये जाते हैं तो इस विभाग के जिलाधिकारी एवं आहरण वितरण अधिकारी इसके लिए उत्तरदायी होंगे।

अतः उपरोक्त प्रकार से प्रक्रिया सुनिश्चित करते हुए कर्मचारियों के द्वारा फार्म की पूर्ति करवाकर प्राप्त प्रपत्रों में दिये गये Permanent Pension Account Number जो कि जिला कार्यालय द्वारा जारी किया गया है, की जिला कार्यालय में उपलब्ध मास्टर इण्डेक्स से जांच की जाये एवं उसके पश्चात ही उन्हें संबंधित सुविधा केन्द्र को प्रस्तुत किए जायें। इन निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जाये।

संलग्न–एस–1 फार्म
एस–5 फार्म
एस–6 फार्म
एन–3 फार्म
वित्त विभाग का आदेश दिनांक 27.12.2010

15.3.11

अतिरिक्त निदेशक
(पीएफ/एनपीएस)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान जयपुर

क्रमांकःप.19(ए)/एन.पी.एस./2011/ 2145-2244 दिनांक 14/15-/03/2011

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1– समस्त उप/सहायक निदेशक जिला————————————
2– समस्त संयुक्त निदेशक संभाग————————————को
भेजकर लेख है कि अपने स्तर पर उपरोक्त कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
3– समस्त अधिकारी मुख्यालय

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ–

1– विशेषाधिकारी, (बीमा एवं पेंशन) वित्त विभाग, शासन सचिवालय,जयपुर।
2– निजी सहायक, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा0नि0विभाग, राजस्थान जयपुर।

संयुक्त निदेशक
(पीएफ/एनपीएस)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान जयपुर